

26-05-25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.
प्रार्थी के मूल वाद में अधिवक्ता द्वारा
NOT PRESS अंकित किया गया है। मूल
वाद अदम-पैरवी में खारिज किया गया है।
लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का
प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल हफ्ता
हो व नंबर से कम हो।

~~26/05/25~~
सहायक क्लर्क
(SDO), बाड़मेर

